


I/19504/2023

पंजीकृत पायती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Government of India
Ministry of Mines
Regional Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/कच्छ/चू.प- 07 Mine code 38GUJ10005 ID

दिनांक: 02.11.2023

सेवा में : सांघी इंडस्ट्रीज लि
सांघीपुरम- 370 511
तालुका - अब्दासा, जिला - कच्छ, गुजरात
e mail – info@sanghacement.com

विषय: गुजरात राज्य के कच्छ जिले की लखपत तालुका में स्थित आपकी जादुआ चूलापत्थर खान, क्षेत्रफल- 1543.0958 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,


आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग/एम.सी.डी.आर निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.09.2023 को श्री मुकेश कुमार चौबे, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-321/2020-21 GNR दिनांक 23.03.2021 के द्वारा अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना की सारणी संख्या A1.9 के अनुसार वर्ष 2022-23 में खान पर 750 मी. की Borehole drilling किए जाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि कुल 710 मी. Borehole drilling ही की गयी है।
27(1)	Financial assurance shall be furnished by the holder of the mining lease, for due and proper implantation of the progressive mine closure plan contained in the mining plan or the final closure plan, as the case may be, which shall be an amount of five lakh rupees for Category 'A' mines and three lakh rupees for category 'B' mines, per hectare of the mining lease area put to use for mining and allied activities: Provided that the minimum amount of financial assurance to be furnished under sub rule (1) shall be ten lakh rupees for Category 'A' mines and five lakh for category 'B'

1/19504/2023

27(2) read with 27(1)	mines. Where financial assurance is required to be furnished by the holder of the mining lease under sub-rule (1) such amount of financial assurance shall be submitted to the authorised officer, as the case may be in the form of a bank guarantee in the format specified by the Indian Bureau of Mines. Provided that where financial assurance has already been furnished before the commencement of these rules an amount equal to the difference between the financial assurance due as on the date of notification of these rules and the financial assurance already furnished shall be furnished to the authorised officer, as the case may be, within a period of ninety days from the notification of these rules. It is observed that the difference amount submitted by you is deficit and thus the entire difference amount has not been submitted to this office till date.
34A(1) read with rule 34A(5)	The Submitted output details of the drone survey were not found as per the SOP issued by under rule 34A (5). (I) The Orthomosaic.tif is not in a proper file format as a message is popped up as ".tif is not a valid or recognised data source". (II) Proper nomenclature of all mining features has not been done in mining_feature.shp file.

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।


भवदीय

 (मनीष गुप्ता)

सहायक खान नियंत्रक
 भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि - १. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सेंक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

३. रक्षित पत्रावली।


 सहायक खान नियंत्रक
 भारतीय खान ब्यूरो